

**कार्यालय जिलाधिकारी उधम सिंहनगर।**

Email Id: dmusn.1995@gmail.com

फोन नं०-05944-242344 / फैक्स-05944-250408

संख्या 687 / न्याय सहा०-2(04/3)/ 2020,

दिनांक 16, 10, 2020

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मूल आवेदन सं० 129/2020 विजय कुमार मल्होत्रा बनाम् उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.07.2020 के द्वारा हिमालयन फूड पार्क काशीपुर द्वारा किये गये उल्लंघनों की जांच कर Factual & action taken report प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

सेवा में,

सचिव,  
मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण,  
फरीदकोट हाउस, कोपरनिकस मार्ग,  
नियर इंडिया गेट, नई दिल्ली।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मूल आवेदन सं० 129/2020 विजय कुमार मल्होत्रा बनाम् उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में दिनांक 17.07.2020 को आदेश पारित कर हिमालयन फूड पार्क काशीपुर द्वारा किये गये उल्लंघनों की जांच कर तीन माह के अन्तर्गत Factual & action taken report प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय आदेश सं० 11957/न्याय सहा०-2(04/3)/2020 दिनांक 02.09.2020 के द्वारा संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी काशीपुर, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र उधमसिंहनगर, मुख्य कृषि अधिकारी उधमसिंहनगर, उप प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर नैनीताल, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर की समिति का गठन कर हिमालयन फूड पार्क काशीपुर द्वारा किये गये उल्लंघनों की संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

संयुक्त जांच समिति द्वारा हिमालयन फूड पार्क काशीपुर द्वारा किये गये उल्लंघनों के सम्बन्ध में संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया है कि "मै० हिमालयन फूड पार्क लि० को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापनार्थ सहमति प्राप्त है, तथा उद्योग में आवश्यक जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाये स्थापित है। उक्त पार्क की स्थापना एवं संचालन से निकटवर्ती कृषि भूमि पर किसी प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ने के कोई साक्ष्य निरीक्षण के समय दृष्टिगोचर नहीं हुए है। इस फूड पार्क के संचालन से कार्बेट नेशनल पार्क को प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। कार्बेट नेशनल पार्क, मै० हिमालयन फूड पार्क प्रा०लि० से लगभग 30 किमी से अधिक दूरी पर स्थापित है।

वर्तमान में मै० हिमालयन फूड पार्क प्रा०लि० में मात्र दो ईकाईयों द्वारा ही अपना स्थापना कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ किया गया है। शेष भू-खण्ड पर निर्माण कार्य गतिमान है अथवा वे अभी आंबटित नहीं हुए है। मै० हिमालयन फूड पार्क प्रा०लि० की स्वयं की उत्पादन इकाई के शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने की जांच इकाई के संचालन के पश्चात की जा सकेगी, वर्तमान में इकाई द्वारा सभी प्रदूषण व्यवस्थाओं की स्थापना की गयी है।" संयुक्त जांच समिति द्वारा निम्नांकित सुझाव भी प्रेषित किये गये हैं:-


01-मै० हिमालयन फूड पार्क की उत्पादन इकाई के संचालन में आने के पश्चात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह तथा चिमनियों के उत्सर्जन की जांच की जाये।

02-निकटवर्ती खेतों में फसल कटाई के पश्चात, मृदा का परीक्षण किया जाये।

03-मै० हिमालयन फूड पार्क प्रा०लि० द्वारा अपनी उत्पादन इकाई में ओर अधिक सघन वृक्षारोपण किया जाये तथा फूड पार्क के विकसित होने के साथ-साथ हरित पट्टिका को भी विकसित किया जाये।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मूल आवेदन सं० 129/2020 विजय कुमार मल्होत्रा बनाम् उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.07.2020 के अनुपालन में संयुक्त रूप से की गई जांच आख्या मय संलग्नको सहित संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,  
  
(रंजना राजगुरु)  
जिलाधिकारी,  
उधमसिंहनगर।



Regional Office

Uttarakhand Pollution Control Board

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Chamunda Complex, Ramnagar Road, Kashipur, (U.S.Nagar)- 244713

चामुण्डा कॉम्प्लेक्स, रामनगर रोड, काशीपुर, (उधमसिंहनगर)-244713

पत्रांक- यू.के.पी.सी.बी./आर.ओ.के./122-59/20/584

दिनांक 14.10.20

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
उधमसिंहनगर।

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं0 129/2020, विजय कुमार गल्होत्रा बनाम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 हरित राष्ट्रीय अधिकरण के मूल आवेदन सं0 129/2020 विजय कुमार गल्होत्रा बनाम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पारित आदेश दिनांक 17.07.2020 के अनुक्रम अपने आदेश संख्या 11957/न्याय सहा0-2(04/3)/2020 दिनांक 02.09.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके क्रम में मै0 हिमालयन फूड पार्क प्रा0 लि0, महुवाखेडागंज, काशीपुर द्वारा किये गये उल्लघनों की जांच हेतु संयुक्त जांच समिति का गठन कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त आदेशों के अनुपालन में दिनांक 08.09.2020 को संयुक्त जांच समिति द्वारा संयुक्त जांच/निरीक्षण किया गया। संयुक्त जांच आख्या संलग्नको सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नरेश गोस्वामी)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि-

1. सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. डॉ0 अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या यू.के.पी.सी.बी./एच.ओ./सा0-183-469/1793-344 दिनांक 21.07.2020 के अनुपालन में सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

मै0 हिमालयन फूड पार्क, महुवाखेडागंज, उधमसिंहनगर की संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-129/2020 विजय कुमार मल्होत्रा बनाम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.07.2020 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर से तीन माहों के भीतर factual & Action taken report चाही गयी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर के आदेश दिनांक 02.09.2020 द्वारा गठित संयुक्त जांच समीति द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश में सन्दर्भित मै0 हिमालयन फूड पार्क प्रा0 लि0 का निरीक्षण दिनांक 08.09.2020 को किया गया। जांच समीति में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे-

1. उपजिलाधिकारी/संयुक्त मजिस्ट्रेट, काशीपुर।
2. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंहनगर।
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी, वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर।

इसके अतिरिक्त निरीक्षण दल में तहसीलदार, काशीपुर, राजस्व निरीक्षक आदि भी उपस्थित रहे। जांच/निरीक्षण आख्या निम्नानुसार है-

1. मै0 हिमालयन फूड पार्क प्रा0 लि0, महुवाखेडागंज, त0-काशीपुर में स्थापित है, जिसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 25.08.2014 को औद्योगिक भू-खण्डों सहित इसकी स्वयं की उत्पादन ईकाई में निम्नलिखित उत्पादों के उत्पादन हेतु स्थापनार्थ सहमति प्रदान की गयी है, जिसे 31.03.2020 तक संचालनार्थ सहमति प्राप्त है।

- Core Processing Centre-Multifruits & Vegetable Processing Line-18000 ton/month
- Core Processing Centre-Mult purpose Cold Storage-500 ton/month
- Core Processing Centre-Tetrapack-4500000 nos./month
- Industrial Plots for Food & Fruits/Vegetable Processing Units-28 no. (Total land Area-50.14 Acre)

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश दिनांक 25.06.2020 के अनुसार दिनांक 31.03.2020 तक प्राप्त संचालनार्थ सहमति की अवधि दिनांक 31.03.2021 तक विस्तारित कर दी गयी है। (आदेश की छायाप्रति संलग्न, संलग्नक-1)

2. वर्तमान में मै0 हिमालयन फूड पार्क प्रा0 लि0 में इसकी स्वयं की उत्पादन ईकाई के अतिरिक्त मै0 M/s Shri Shradhanand Food Processing Pvt Ltd में ट्रायल उत्पादन प्रारम्भ किया गया है, जिस हेतु संचालनार्थ सहमति आवेदन बोर्ड में विचाराधीन है।
3. वर्तमान में उक्त फूड पार्क में उक्त दो उत्पादन ईकाईयों के अतिरिक्त लगभग 10 ईकाईयों में स्थापना का कार्य चल रहा है तथा कुछ में स्थापना का कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ है एवं अन्य औद्योगिक भू-खण्ड वर्तमान तक आंबटित नहीं हुए हैं(फोटोग्राफ्स संलग्न)।

4. इसकी स्वयं की ईकाई में जनित होने वाले औद्योगिक उत्प्रावह शुद्धिकरण हेतु 100 किली/दिन क्षमता का उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिसमें बारस्कीन, इक्वालाईजेशन टैंक, प्राईमरी क्लेरीफायर, ऐरेशन टैंक, सेकेंडरी क्लेरीफायर, स्लज ड्राईंग वेड्स, सैन्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर स्थापित है। उक्त ईकाई द्वारा जनित शुद्धिकृत उत्प्रावह का निस्तारण ग्रीन वेल्ड की सिंचाई में किया जाता है, जिस हेतु उक्त उत्पादन ईकाई द्वारा पाईप लाईन आदि की व्यवस्था की गयी है(फोटोग्राफ्स संलग्न)।
5. उक्त मै0 हिमालयन फूड पार्क प्रा0 लि0 की स्वयं उत्पादन ईकाई में मौसमी कच्चे माल की अनउपलब्धता, कोविड-19 के कारण तथा बाजार मांग कम होने के कारण दिनांक 29.06.2020 से उत्पादन कार्य बन्द है। उक्त उत्पादन इकाई में इससे पूर्व दिनांक 21.05.2020 से दि0 04.06.2020 तक, दि0 22.06.2020, दि0 28.06.2020 तथा 29.06.2020 को उत्पादन हुआ है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 में दि0 11.01.2020, दि0 09.02.2020 तथा दि0 10.02.2020 को भी उत्पादन हुआ है। उद्योग द्वारा प्रस्तुत कराया गया पत्र संलग्न, (संलग्नक-2)। दि0 21.05.2020 से दि0 04.06.2020 तक इकाई द्वारा प्राप्त कराये गये आकड़ों के अनुसार लगभग 21.42 किली0/दिन औद्योगिक उत्प्रावह जनित एंव शुद्धिकृत हुआ है। शुद्धिकृत औद्योगिक उत्प्रावह के मानको का विश्लेषण उद्योग के उत्पादन प्रारम्भ होने पर किया जा सकेगा।
6. उक्त मै0 हिमालयन फूड पार्क प्रा0 लि0 की स्वयं की उत्पादन ईकाई में 5टन तथा 8टन क्षमता के दो व्वायलर स्थापित है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओ हेतु डस्ट कलेक्टर, वैट स्कवर तथा भू तल से लगभग 30मीटर ऊँची संयुक्त चिमनी स्थापित है। इसके अतिरिक्त उद्योग में 500 के.वी.ए. तथा 62.5 के.वी.ए. क्षमता के दो साउन्ड प्रूफ डी.जी. सेट स्थापित है(फोटोग्राफ्स संलग्न)।
7. मै0 हिमालयन फूड पार्क प्रा0 लि0 में स्थापित/प्रस्तावित ईकाईयों द्वारा अपने-अपने उत्पादन ईकाईयों से जनित होने वाले औद्योगिक तथा घरेलू उत्प्रावह का शुद्धिकरण अपनी ही ईकाई में किया जाना है। फूड पार्क में राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी स्थापनार्थ सहमतियों संलग्न, (संलग्नक-3)।
8. मै0 हिमालयन फूड पार्क प्रा0 लि0 की स्वयं की उत्पादन ईकाई में ग्रीन वेल्ड छोडी गयी है, जिसमें वृक्षों का रोपण किया गया है। मै0 हिमालयन फूड पार्क प्रा0 लि0 में ग्रीन वेल्ड हेतु 22617 वर्ग मीटर स्थान छोडा गया है, जो कि कुल पार्क के क्षेत्रफल का 10.01% है। जिसे विकसित किया जा रहा है। स्थानीय राजस्व विभाग की रिपोर्ट संलग्न है,(संलग्नक-4)।
9. संयुक्त जांच के दौरान फूड पार्क से किसी भी प्रकार का उत्प्रावह फूड पार्क के निकटवर्ती खेतों में छोडे जाने एवं कृषि पर भी कोई दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर नही हुआ है। फूड पार्क के निकट धान की फसल लगी हुई है। धान फसल कटाई के उपरान्त आसपास के ग्रामों के खेतों पर मृदा परीक्षण का कार्य कराने हेतु नमूना ग्रहण करने की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में पार्क के निकट के खेतों में धान की फसल खडी है तथा मृदा का पृथक से परीक्षण धान की फसल कट जाने के पश्चात ही किया जा सकता है।
10. उक्त फूड पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क से लगभग 30 किमी. की दूरी पर स्थित है। उक्त फूड पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क के चारो ओर 10 किमी eco sensitive zone से भी लगभग 20

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

किमी से अधिक दूरी पर स्थित है। अतः उक्त पार्क के कारण कार्बेट नेशनल पार्क के अर्न्तगत वनों एवं वन्य जीवों के प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है।

इस प्रकार संयुक्त जांच दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मै0 हिमालयन फूड पार्क प्रा0 लि0 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त है तथा उद्योग में आवश्यक जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित हैं। उक्त पार्क की स्थापना एवं संचालन से निकटवर्ती कृषि भूमि पर किसी प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ने के कोई साक्ष्य निरीक्षण के समय दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं। इस फूड पार्क के संचालन से कार्बेट नेशनल पार्क को कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। कार्बेट नेशनल पार्क, मै0 हिमालयन फूड पार्क प्रा0 लि0 से लगभग 30 किमी से अधिक दूरी पर स्थापित है।


वर्तमान में मै0 हिमालयन फूड पार्क प्रा0 लि0 में मात्र दो ईकाईयों द्वारा ही अपना स्थापना कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ किया गया है। शेष भू-खण्डों पर निर्माण कार्य गतिमान है अथवा वे अभी आंबटित नहीं हुए हैं। मै0 हिमालयन फूड पार्क प्रा0 लि0 की स्वयं की उत्पादन ईकाई के शुद्धिकृत उत्प्रावह के समूह की जांच ईकाई के संचालन के पश्चात की जा सकेगी वर्तमान में ईकाई द्वारा सभी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना की गयी है।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में प्रकरण पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

1. मै0 हिमालयन फूड पार्क की उत्पादन ईकाई के संचालन में आने के पश्चात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रावह तथा चिमनियों के उत्सर्जन की जांच की जाये।
2. निकटवर्ती खेतों में फसल की कटाई के पश्चात, मृदा का परीक्षण कराया जाये।
3. मै0 हिमालयन फूड पार्क प्रा0 लि0 द्वारा अपनी उत्पादन ईकाई में और अधिक सघन वृक्षारोपण किया जाये तथा फूड पार्क के विकसित होने के साथ साथ हरित पट्टिका को भी विकसित किया जाये।

  
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
काशीपुर

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
तराई पश्चिमी वन प्रभाग  
रामनगर, नैनीताल

  
मुख्य कृषि अधिकारी  
ऊधमसिंहनगर

  
महाप्रबन्धक  
जिला उद्योग केन्द्र  
ऊधमसिंहनगर

*Based on reports of all departments.*  
  
उपजिलाधिकारी/  
संयुक्त मजिस्ट्रेट  
काशीपुर



**कार्यालय आदेश**

एतद्वारा राज्य बोर्ड की 24वीं बैठक दिनांक 10.08.2020 में उत्तराखण्ड राज्य में संचालित नारंगी एवं हरित श्रेणी के उद्योगों की संचालन सहमति की वैधता अवधि अग्रेत्तर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि सभी श्रेणी के उद्योगों के सहमति वैधता अवधि 31.03.2021 तक बढ़ाया जाय तथा 10 करोड़ लागत तक के विनियोजन के उद्योगों (Mining Sector को छोड़कर) की सहमति/प्राधिकार नवीनीकरण शुल्क माफ कर दी जाय तथा इससे अधिक परियोजना लागत उद्योगों से सहमति/प्राधिकार शुल्क यथावत लिया जाय।

बहु वर्षिय सहमति के अन्तर्गत जिन ईकाईयों द्वारा वर्ष 2020-21 का सहमति पूर्व से लिया जा चुका है उनका वर्ष 2020-21 का सहमति शुल्क (Mining Sector के अतिरिक्त 10 करोड़ लागत तक के विनियोजन के उद्योग) आगामी वर्ष में समायोजित किया जाय।

इस सम्बन्ध में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है की उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाये।

(एसओ पी० सिंह)  
सदस्य सचिव

यूईपीसीवी/एच.ओ./सा०-०६-24वीं बो० ३०/2020/1136-21७ दिनांक १५.०८.2020  
प्रतिलिपि :-

1. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (तकनीकी), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वैज्ञानिक), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री पी० के० जोशी, पर्यावरण अभियंता / डा० अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियंता / श्री एस० पी० सिंह, पर्यावरण अभियंता / डा० डी० के० जोशी, वैज्ञानिक अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून / रुड़की / काशीपुर / हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाईल।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा०)

OFFICE COPY



# HIMALAYAN FOOD PARK PVT. LTD.

सेवा में

दिनांक:- 29/09/2020

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखंड प्रदूषण विभाग

काशीपुर उधम सिंह नगर

महोदय

निवेदन इस प्रकार है की भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) स्थापित है। CPC भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को 2022 में डबल करने की योजना के अंतर्गत फल व सब्जी की अधिकता होने पर फल व सब्जी का ज्यादा मार्केट में आना और सही रेट न मिलने पर किसानों द्वारा फल व सब्जी का जूस व पेस्ट बना कर कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। वर्ष 2020 में 11 जनवरी व माह 9 व 10 फरवरी की तारीख के बाद 21 मई से लेकर 04 जून तक चला उसके बाद प्लांट 22, 28, व 29 जून को चला उसके बाद कोविड-19 के कारण किसानों द्वारा कोई भी फल व सब्जी उपलब्ध न कराये जाने की वजह से प्लांट नहीं चल पाया। यह प्लांट फल व सब्जी की अधिकता पर आधारित है। यह प्लांट सीजनल है।

हिमालयन फूड पार्क प्रा० लि०

निदेशक

संलग्न :- प्लांट चलने के साक्ष्य

Registered Office : M-13 LGE, South Extension, Part-2 New Delhi 110049

CIN No. : NU70200DL2012PTC239551

Site Office : Mahuakhara Ganj, Kashipur, Distt. U. S. Nagar, Uttarakhand - 244713

91 9756797304

www.himalayanfoodpark.com. himalayanfoodpark@gmail.com

राज्य बोर्ड द्वारा जारी हत्यापत्र  
जलमोक्ष (260  
(18113-2)



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
29/20, नेमी रोड, हालनवाला, देहलीदून

पत्रांक-गईपीपीसीबी/एयओ/एयओसी-7129/2018/1752

दिनांक +22018 3.1.2019

सेवा में,

M/s Shanti Prozen Food,  
Plot No : 17, Khasra No : 312,  
Himalaya Food Park,  
Mahukheraganj, Tehsil-Kashipur,  
Distt-U.S.Nagar.

3395  
21/11/19  
NOC

Registered/AD



विषय :- पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गमन।

गोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 23.07.2018 (INWARD : 240670) एवं तत्सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपयुक्त लिए गए निर्णय के क्रम में उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ शर्त स्थापनार्थ सहमति पत्र निर्गत किया जाता है।

1- यह स्थापनार्थ सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल :	Plot No : 17, Khasra No : 312, Himalaya Food Park, Mahukheraganj, Tehsil-Kashipur, Distt-U.S.Nagar.
(ख) उत्पादन :	1. Frozen Fruits & Vegetables-1200MT/Month. 2. Frozen Peas-2400MT/Month.
(ग) मुख्य कच्चे माल :	1. Fruits & Vegetables-1200MT/Month. 2. Peas-3000MT/Month.
(घ) औद्योगिक उत्पन्न :	Nil.
(ङ) प्रयुक्त इंधन :	HSD for DG Sets (750KVA) & (62.5KVA) x 1Nos each and Wood for Boiler (2TPII) x 1Nos.

- उपरोक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापना हेतु सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हलित परिटिका, उत्पन्न शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति (CTO) प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति (CTO) प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उत्त्प्रेषण करते हुए इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।
- घरेलू उत्पन्न की मात्रा 3 कि०ली०/दिन से अधिक नहीं होगी। ज्वलित घरेलू उत्पन्न को सॉकपेट के माध्यम से सेंट्रिक टैंक में निस्तारित किया जाये।
- उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से ज्वलित उत्पन्न के शुद्धिकरण हेतु स्थापित उत्पन्न शुद्धिकरण संयंत्र (45KVA Capacity) का स्थापना की जाये। शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की प्रगति आख्या नियमित रूप से बोर्ड कार्यालयों को प्रेषित किया जाये। शुद्धिकरण उत्पन्न के एकत्रण हेतु पक्के स्टोरेज टैंक की स्थापना की जाये तथा शुद्धिकृत उत्पन्न का स्व-प्रवर्तित प्रयोग कृषि/बागवानी आदि में किया जाये।
- उद्योग द्वारा शून्य उत्पन्न का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- उद्योग प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक पर्यावरणीय वक्तव्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- यह स्थापना हेतु सहमति पत्र दिनांक 23.07.2018 से दिनांक 22.07.2023 तक की अवधि के लिए वैध होगा।
- उद्योग का संवाहन इस प्रकार से किया जाये, कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव बोर्ड माबकों के अनुरूप रहे।
- उद्योग से जनित वेस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार निस्तारित किया जाये कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे।

- 12- उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न हों। प्रदूषण सम्बन्धी जन-शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापना हेतु सन्मति पत्र रिवोक (निरस्त) कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योगी का होगा।
- 13- उद्योग परिसर में बायें तरफ कम से कम 3 क्वारों वाली हरित परित्का विकसित की जाये। हरित परित्का हेतु सघन तथा छायादार वृक्षों का व्यवस्था किया जाये। हरित परित्का हेतु विद्यार्थित भूमि पर निर्माण कार्य न किया जाये।
- 14- उद्योग परिसर में लुफ्टाप रेववाटर हार्वीस्टिंग की व्यवस्था की जाये।
- 15- उद्योग में परिसंक्रमण एवं अन्य अपशिष्ट (प्रकच्यन एवं ट्रांसवाउण्डी मूवमेन्ट) नियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा उत्पादन से पूर्व परिसंक्रमण अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया जाये।
- 16- उद्योग में स्तरबाक/परिसंक्रमण रसायन विनिर्माण, मण्डारण एवं आयात नियम, 1989 का पालन किया जाये।
- 17- उद्योग में सुस्थ सम्बन्धी समस्त उपाय किये जायें तथा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
- 18- उद्योग में प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के प्रभावी संचालन हेतु यूक-2 विद्युत मीटरों की स्थापना सुनिश्चित की जाये। उक्त हेतु प्रतिदिन विद्युत/रसायनों की खपत का विवरण लाभ युक्त में दर्ज किया जाये।
- 19- 750के.वी.ए. क्षमता एवं 62.5के.वी.ए. क्षमता के जनरेटर सेटों में इन्जॉस्ट स्टैक की उँचाई मानकों के अनुसार स्थापित की जाये एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इन्क्लोजर्स की स्थापना की जाये।
- 20- उद्योग में प्रस्तावित 27व/पॉय क्षमता के एक ब्यायलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु Dust Collector एवं भूतल से 30मीटर ऊँची दिनदी की स्थापना की जाये।
- 21- उद्योग में बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना ब्यायलर/ओवन अतिरिक्त डी0जी0 सेट, फर्नेश आदि की स्थापना न की जाये।
- 22- यह सन्मति मात्र Blanching, Drying and Cold Storage प्रक्रियाओं हेतु मान्य है।
- 23- यह स्थापना सन्मति चला अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत विगत की जा रही है। उद्योग सक्षम विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें।
- 24- इन्फेक्ट स्वतः के विधिक भूमि उपयोग एवं नियमानुसार अन्य विभाग से वांछित स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।  
कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निरन्तर स्थापना सन्मति (CoE) पत्र विरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापना सन्मति पत्र (CTE) की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये।

अर्पुक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 20.01.2019 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा स्थापना सन्मति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(एस.पी. सुबुद्धि)  
सदस्य सचिव

पृ० सं० एवं दिनांक/उपरोक्तानुसार।

प्रतिनिधि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर, उधमसिंहनगर को सूचवांर एवं उपरोक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।

28.12.19  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board  
Chanda Complex, Ramnagar Road, Kashipur,  
Uttarakhand

REGIONAL OFFICE



उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण निवंत्रण बोर्ड  
शामुख कालोवन, रामनगर रोड, काशीपुर (उत्तराखण्ड)

Web: www.ueppcb.org.in

Ref: UEPPCB/ROK/PR/19/1107

दि 25/1/19

सेवा में,

M/s Shree Ganga Industries  
Plot-13/3, Himalya Food Park,  
Vill- Mahuakheraganj, Kashipur  
U.S.Nagar

PCB ID-22031  
CTE- Fresh  
CTE- 19464

विषय-पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जल प्रदूषण (नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974 की धारा-25 तथा वायु प्रदूषण (नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा -21 के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति निर्गमन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दि.03.07.18 तथा Inward No-238579 का सन्दर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया। उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन के साथ शर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।

(क) स्थल :	Plot-13/3, Himalya Food Park, Vill- Mahuakheraganj, Kashipur U.S.Nagar
(ख) उत्पादन :	Corrugted Box-187500Nos/Month
(ग) मुख्य कच्चा माल :	Craft Paper-22.500Ton/Month
(घ) औद्योगिक उत्प्रावह :	NIL
(ङ) प्रयुक्त ईंधन :	HSD For DG Sets (62 KVA)

उपयुक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पदिका, उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण की व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ न करे, जब तक की बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाय, यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाय।
5. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र हरित श्रेणी हेतु मान्य है।
6. घरेलू उत्प्रावह जिसकी अधिकतम मात्रा 1.00 किली/दिन से अधिक न हो का निस्तारण बोर्ड मानकों के अनुरूप सोक पिट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये।
7. उद्योग को यह सहमति मात्र घरेलू उत्प्रावह हेतु मान्य है, उद्योग किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रावह कदापि निस्तारित न किया जाये।
8. उद्योग परिसर में मानकों के अनुरूप हरित पदिका का विकास सुनिश्चित किया जाये।
9. उद्योग में मानकों के अनुरूप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

10. उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाय कि परिवेशीय वायुगुणता बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
11. उद्योग में 62के.पी.ए. क्षमता के डी.जी. सेट को एकास्टिक इनक्लोजरयुक्त किया जाये तथा संलग्न धिमनी की ऊँचाई Roof Level से कमशः 1 मी. स्थापित की जाये।
12. उद्योग में बोर्ड की अनुमति के बिना अतिरिक्त डी.जी. सेट व Boiler/Oven इत्यादि स्थापना न की जाय।
13. उद्योग में परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम-2016 यथा संशोधित का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
14. उद्योग में ई-वेस्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
15. उद्योग में प्लास्टिक वेस्ट अपशिष्ट नियम 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
16. उद्योग से जनित ठोस अपशिष्टों का निस्तारण इस प्रकार से किया जाय कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की संभावना न रहे।
17. उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाय कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त न हों। प्रदूषण सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने एवं उसकी पुष्टि होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
18. उद्योग में अग्निशमन सम्बन्धी समस्त उपाय करें तथा अग्निशमन विभाग का प्रमाण पत्र बोर्ड को प्रेषित करें।
19. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों, वन विभाग, उद्योग विभाग के अनुमन्य रजिस्ट्रेशन एवं सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही मान्य होगी।
20. उद्योग संचालन से पूर्व सक्षम अधिकारी से भू-प्रयोग (औद्योगिक परियोजन) प्रमाण पत्र इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।
21. उद्योग के संचालन से पूर्व परिसंकटमय अपशिष्ट के संग्रहण, स्टोरेज व निस्तारण हेतु मानकों के अनुरूप समस्त उपाय एवं अन्तिम निस्तारण हेतु अधिकृत संस्था से अनुबंध करना सुनिश्चित किया जाये।
22. उद्योग को केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (CGWA) से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
23. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पाँच वर्ष के लिए वैध है।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दि. 15.02.19 तक प्रथम अनुपालन आख्या प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाय, अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

  
(सुभाष चन्द्र पुरी)  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि-1. सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. गार्ड फाईल।

  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

aw

11/1/19



UEPPCB/ROK/F-25/19/985

दि 8/11/19

सेवा में,

M/s Fibro Fresh Beverages  
Plot no.-4/1, Himalayan Food Park  
Vill- Mahuakheraganj, Kashipur  
U.S. Nagar

CTE- Fresh

ID-102611

विषय-पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जल प्रदूषण (नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974 की धारा-25 तथा वायु प्रदूषण (नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा -21 के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति निर्गमन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दि. 30.08.19 का सन्दर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया। उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन के साथ शर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।

स्थल :	Plot no.-4/1, Himalayan Food Park, Vill- Mahuakheraganj, Kashipur, U.S.Nagar
उत्पादन :	Fruit Juice in Bottles - 945000 nos/month
कच्चा माल :	Sugar - 37.8 MT/month Pulp - 37.8 MT/month Essence-Flavours, Preservatives - 3.78 MT/month
औद्योगिक उत्स्रवाह :	NIL
प्रयुक्त ईंधन :	HSD For DG Sets (62.5 KVA), Fuel- Wood (for Boiler-1 TPH)

उपयुक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पदिका, उत्स्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण की व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ न करे, जब तक की बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाय, यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाय।
- घरेलू उत्स्रवाह जिसकी अधिकतम मात्रा 1,000 किलो/दिन से अधिक न हो, का विस्तारण बोर्ड मानकों के अनुरूप लोक पिट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये।
- उद्योग से जनित औद्योगिक उत्स्रवाह को शुद्धिकरण यथाप्रस्तावित उत्स्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से किया जाये व शुद्धिकृत उत्स्रवाह को पुनः उद्योग में प्रयोग किया जाय।

7. उद्योग परिसर में मानकों के अनुरूप हरित पदिका का विकास सुनिश्चित किया जाये।
8. उद्योग में मानकों के अनुरूप रेनवाटर हार्डवेयर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
9. यह अनापत्ति मात्र नारंगी श्रेणी हेतु मान्य है। उद्योग में मुख्यतः Boiling, Mixing, Cooling, Feeding, Packing, etc. ही मान्य होगी।
10. उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाय कि परिवेशीय वायुगुणता बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
11. उद्योग में बोर्ड की अनुमति के बिना अतिरिक्त डी.पी. रोट व Boiler/Oven इत्यादि स्थापना न की जाय।
12. यथाप्रस्तावित 1 टन/घंटा क्षमता के व्यापार में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अस्ट कलेक्टर व घिमनी की स्थापना बोर्ड मानकों के अनुरूप की जाये।
13. उद्योग में परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम-2010 यथा संशोधित नियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
14. उद्योग में ई-वेस्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2010 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
15. उद्योग में प्लास्टिक वेस्ट अपशिष्ट नियम 2010 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
16. उद्योग से जनित ठोस अपशिष्टों का निस्तारण इस प्रकार से किया जाय कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की संभावना न रहे।
17. उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाय कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त न हों। प्रदूषण सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने एवं उसकी पुष्टि होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
18. उद्योग में अग्निशमन सम्बन्धी समस्त उपाय करें तथा अग्निशमन विभाग का प्रमाण पत्र बोर्ड को प्रेषित करें।
19. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों, वन विभाग, उद्योग विभाग के अनुमन्य रजिस्ट्रेशन एवं सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही मान्य होगी।
20. उद्योग संचालन से पूर्व सक्षम अधिकारी से भू-प्रयोग (औद्योगिक परियोजन) प्रमाण पत्र इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।
21. उद्योग के संचालन से पूर्व परिसंकटमय अपशिष्ट के संग्रहण, स्टोरेज व निस्तारण हेतु मानकों के अनुरूप समस्त उपाय एवं अन्तिम निस्तारण हेतु अधिकृत संस्था से अनुबंध करना सुनिश्चित किया जाये।
22. उद्योग को केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (CGWA) से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
23. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पाँच वर्ष के लिए वैध है।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रमादी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दि. 31.12.19 तक प्रथम अनुपालन आख्या प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाय, अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय


(अनुराग नेगी)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

देहरादून को सादर सूचनार्थ

प्रतिलिपि-1. सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. गार्ड फाईल।

  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)



मुख्यालय

जलानु-3

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

“गौरा देवी पर्यावरण भवन”

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून-248001

पत्रांक-यूईपीसीबी/एचओ/एनओसी-7220/2019/ 639

दिनांक 30/08.2019

सेवा में,

M/s Ndtp Foods Private Limited,  
Plot No : 7, 6/1,  
Himalayan Food Park,  
Mahuwakheraganj, Tehsil-Kashipur,  
Distt-U.S.Nagar.

File No. 21.7  
Date 16/9/19  
Page No. Not

Registered/AD

PCB ID: 23173  
CTE: Fresh  
Outward No.

विषय :- पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 15.07.2019 (INWARD : 243552) एवं तरसम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपयुक्त लिए गए निर्णय के क्रम में उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सहमति स्थापनार्थ सहमति पत्र निर्गत किया जाता है।

1- यह स्थापनार्थ सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल :	Plot No : 7, 6/1, Himalayan Food Park, Mahuwakheraganj, Tehsil-Kashipur, Distt-U.S.Nagar.
(ख) उत्पादन :	Dehydrated Fruits & Vegetables-15Ton/Month.
(ग) मुख्य कच्चे माल :	Local Fruits & Vegetables-15Ton/Month.
(घ) औद्योगिक उत्पादक :	शून्य उत्पादक (उत्पादक विस्तारित नहीं किया जायेगा)।
(ङ) प्रयुक्त ईंधन :	HSD for DG Sets (250KVA) x 1Nos & (62.5KVA) x 1Nos.

- उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापना हेतु सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पेंटिङ्ग, उत्पादक शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति (CTO) प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति (CTO) प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।
- उद्योग इस प्रक्रिया से जनित उत्पादक जिसकी मात्रा 3कि०ली०/दिन से अधिक नहीं होगी को शुद्धिकृत कर शून्य उत्पादक के सिद्धान्त पर उपयोग किया जाये। क्लॉसिंग वाटर को शत प्रतिशत पुनः चक्रित किया जाये।
- घरेलू उत्पादक की मात्रा 1.500 कि०ली०/दिन से अधिक नहीं होगी। जनित घरेलू उत्पादक को सोकपिट के माध्यम से सेप्टिक टैंक में विस्तारित किया जाये।
- उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्पादक (3.500KLD Capacity) को शुद्धिकरण हेतु व्यापकसहित उत्पादक शुद्धिकरण संयंत्र (EOP) की स्थापना की जाये। शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की प्रगति आख्या नियमित रूप से बोर्ड कार्यालय को भेजित किया जाये। ई.टी.पी. की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि शुद्धिकृत उत्पादक को गुणवत्ता सदैव मानकों के अनुरूप रहे।
- उद्योग द्वारा शून्य उत्पादक का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- उद्योग प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक पर्यावरणीय वक्तव्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- यह स्थापना हेतु सहमति पत्र दिनांक 15.07.2019 से दिनांक 14.07.2024 तक की अवधि के लिए वैध होगा।
- उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाये, कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
- उद्योग से जनित घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार निस्तारित किया जाये कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे।

Signature and Stamp

क्रमशः...पेज-2

- 13- उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जावे, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न हों। प्रदूषण सम्बन्धी जन-शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापना हेतु सहमति पत्र रिवोक (निरस्त) कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योगी का होगा।
- 14- उद्योग परिसर में चारों तरफ कम से कम 3 कतारों वाली हरित पट्टिका विकसित की जाये। हरित पट्टिका हेतु सघन तथा छायादार वृक्षों का चयन किया जाये। हरित पट्टिका हेतु निर्धारित भूमि पर निर्माण कार्य न किया जाये।
- 15- उद्योग परिसर में लुफ्टप रेनवाटर हावैस्टिंग की व्यवस्था की जाये।
- 16- उद्योग में परिसंक्रामक एवं अन्य अपशिष्ट (षबन्धन एवं ट्रांसबाउण्ड्री मूवमेन्ट) नियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा उत्पादन से पूर्व परिसंक्रामक अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया जाये।
- 17- उद्योग में अंतरनाक/परिसंक्रामक रसायन विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम, 1989 का पालन किया जाये।
- 18- उद्योग में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपाय किये जायें तथा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
- 19- उद्योग में प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के प्रभावी संचालन हेतु पृथक विद्युत मीटर की स्थापना सुनिश्चित की जाये। उक्त हेतु प्रतिदिन विद्युत/रसायनों की रूपत का विवरण लागू बुक में दर्ज किया जाये।
- 20- 250के.वी.ए. क्षमता एवं 62.5के.वी.ए. क्षमता के जनरेटर सैटों में इकजाॅस्ट स्टेक की उँचाई मानकों के अनुरूप स्थापित की जाये एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इन्वोलोजर्स की स्थापना की जाये।
- 21- उद्योग में बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना ब्वाबलर/ओवन अतिरिक्त डी0जी0 सेट, फर्नेश आदि की स्थापना न की जाये।
- 22- यह सहमति मात्र hot air drying fruits & vegetables प्रक्रियाओं हेतु मान्य है।
- 23- यह स्थापनार्थ सहमति जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। उद्योग सक्षम विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें।
- 24- इम्बित स्थल के विधिक भूमि उपयोग एवं निबन्धानुसार अन्य विभाग से वांछित स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापनार्थ सहमति (CoE) पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापनार्थ सहमति पत्र (CoE) की शर्तों में संशोधन किया जावे अथवा निरस्त कर दिया जाये।

उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक -06.09.2019 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा स्थापना सहमति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

भवदीय

(एस.पी. सुबुद्धि)  
सदस्य सचिव

पृ० सं० एवं दिनांक/उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।

19.8.19  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्रधारा रोड़, देहदून-248001

जिला नं०... 1283  
दिनांक... 11/8/20  
पर्यावरणीय सं०... N.P.T.

पत्रांक-यूईपीसीबी/एवओ/एवओसी-7380/2020/ 499

दिनांक 29.7.2020

सेवा में,

Registered/AD

M/s Gopi Dehydrates Pvt Ltd.,  
Plot no.: 21, Himalayan Mega Food Park,  
Mahuakhera Ganj, Kashipur,  
Distt-U.S.Nagar.

Application No :97771  
CTE : Fresh  
Caf Id-4266

विषय -> पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2019 (Application No :97771) एवं तत्सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से विम्बलित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सहमति पत्र निर्गत किया जाता है।

1- यह स्थापना सहमति पत्र विम्बलित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल :	Plot no.: 21, imalayan Mega Food Park, Mahuakhera Ganj, Kashipur, Distt-U.S.Nagar.
(ख) उत्पाद :	Dehydrated Fruits Vegetables Herbs- 4.0 MT/Day
(ग) मुख्य कच्चे माल :	Fresh fruits vegetables herbs- 20.0 MT/Day
(घ) औद्योगिक उत्पाद :	200 KLD
(ङ) प्रयुक्त ईंधन :	Diesel for D.G.Sets (250 & 25.0 KVAx1Nos) Thermic Fluid Heater with Cyclone dust collector.

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापना हेतु सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2- उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित परिसर, उत्पादक शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवी तारीख तक विस्तार प्रेषित करें।

3- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति (CTO) प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति (CTO) प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4- उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।

5- घरेलू उत्पाद की मात्रा 100 कि०मी०/दिन से अधिक नहीं होगी। अनिष्ट घरेलू उत्पाद को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट माध्यम से हटिकृत किया जाये।

6- उद्योग प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक पर्यावरणीय बकाया प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7- यह स्थापना हेतु सहमति पत्र दिनांक जारी होने की तिथि से 05 वर्ष तक की अवधि के लिए वैध होगा।

8- उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाये, कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।

9- उद्योग से जनित वेस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार निस्तारित किया जाये कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे।

10- उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न हों। प्रदूषण सम्बन्धी जन-शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापना हेतु सहमति पत्र रिवोक (विस्त) कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योगी के स्वयं का होगा।

ASO  
13/8/20

- 11- उद्योग परिसर में गार्डें तरफ कम से कम 3 कतारों वाली हरित पट्टिका विकसित की जाये। हरित पट्टिका हेतु सघन तथा छायादार वृक्षों का चयन किया जाये। हरित पट्टिका हेतु विद्यार्थित भूमि पर निर्माण कार्य न किया जाये।
- 12- उद्योग परिसर में रूफटॉप रेनवाटर हार्नेस्टिंग की व्यवस्था की जाये।
- 13- उद्योग में परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं ट्रांसबाउण्ड्री मूवमेन्ट) नियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा उत्पादन से पूर्व परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया जाये।
- 14- उद्योग में अंतरनाक/परिसंकटमय स्तायन विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम, 1989 का पालन किया जाये।
- 15- उद्योग में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपाय किये जायें तथा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
- 16- उद्योग में प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के प्रभावी संचालन हेतु पृथक विद्युत मीटर की स्थापना सुनिश्चित की जाये। उक्त हेतु प्रतिदिन विद्युत/रसायनों की खपत का विवरण ताम्र बुक में दर्ज किया जाये।
- 17- 250के.सी.ए. व 25.0के.वी.0ए.0 के एक जनरेटर सैटों में इन्जॉस्ट स्टैंड की उँवाई मानकों के अनुरूप स्थापित की जाये एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इन्क्लोजर्स की स्थापना की जाये।
- 26- उद्योग में प्रस्तावित 25.0Lacs Kcal/Hr क्षमता के ब्वायलर में वायु नियंत्रण हेतु Multicyclone Dust Collector एवं भूतल से 30मीटर ऊँची चिमनी की स्थापना की जाये।
- 18- उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्पाद (200KLD Capacity) के शुद्धिकरण हेतु यथाप्रस्तावित उत्पाद शुद्धिकरण संयंत्र (EAF) की स्थापना की जाये। शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की प्रकृति आख्या नियमित रूप से बोर्ड कार्यालयों को प्रेषित किया जाये। ईटीपी की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि शुद्धिकृत उत्पाद की गुणवत्ता सदैव मानकों के अनुरूप रहे।
- 19- उद्योग में बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना ब्वायलर/ओवन अतिरिक्त डी0जी0 सेट, फर्नेश आदि की स्थापना न की जाये।
- 20- यह सहमति मात्र Washing, Blanching, Cooling, Dewatering, Blending, Drying & Packing प्रक्रियाओं हेतु मान्य है।
- 21- यह स्थापना सहमति जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। उद्योग सक्षम विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें।
- 22- इम्प्लि स्याल के विधिक भूमि उपयोग एवं नियमानुसार अन्य विभाग से वांछित स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- 23- उद्योग द्वारा उत्पादन करने से पूर्व केन्द्रीय भूमिधर्म जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापना सहमति (CoE) पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापना सहमति पत्र (CTE) की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये।

उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 31.08.2020 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा स्थापना सहमति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

भवदीय

(एस.पी. सुबुद्धि)  
सदस्य सचिव

पृ० सं० एवं दिनांक/उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर, उपमहानगर के सूचना एवं उपरोक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

A138

मुख्यालय

एन.ए.ए.ए.ए.

## उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

29/20, नैनी रोड, हालनवाला, देहरादून

पर्यावरण-सूक्ष्मपीपीसीबी/एचओ/एचओसी-7078/2018/1058

दिनांक 05.07.2018

सेवा में,

Registered/AD

M/s Achut And Aparna Agro Products Pvt Ltd,  
Plot No : R3, R4,  
Himalayan Food Park,  
Mahuwakheraganj, Tehsil-Kashipur,  
Distt-U.S.Nagar.

आवेदन क्र. 2068

दिनांक 22/9/18

पर्यावरण



विषय :- पर्यावरणीय प्रदूषण री हंडल से बर्द हवाई की स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्माण।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपका आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2018 (INWARD : 240071) एवं तरतमन्वी क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति पत्र बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त लिए गए निर्णय के फल से उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सहमति स्थापनार्थ सहमति पत्र निर्गत किया जाता है।

1- यह स्थापनार्थ सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल :	Plot No : R3, R4, Himalayan Food Park, Mahuwakheraganj, Tehsil-Kashipur, Distt-U.S.Nagar.
(ख) उत्पादन :	1. Fusilli Pasta-160000KGS/Month. 2. Macaroni Pasta-160000KGS/Month.
(ग) मुख्य कच्चे माल :	Semolina-7040MT/Month.
(घ) औद्योगिक उत्पादक :	Nil.
(ङ) प्रयुक्त ईंधन :	DG Set (500KVA) x 1Nos.

- उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापना हेतु सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्पादक बुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह त्रै दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति (CTO) प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति (CTO) प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उत्तर कक्षों हुए इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जावे। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित करवा जाये।
- प्रत्येक उत्पादक की मात्रा 3कि०ली०/दिन से अधिक नहीं होगी। जलित परेन् उत्पादक को अधिकतम 2 कि०ली०/दिन से अधिक मात्रा में निरस्त किया जाये।
- उद्योग प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक पर्यावरणीय वक्तव्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- यह स्थापना हेतु सहमति पत्र दिनांक 05.07.2018 से दिनांक 04.07.2023 तक की अवधि के लिए वैध होगा।
- उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाये, कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
- उद्योग से जनित वेध अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार निरस्त किया जाये कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे।
- उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न हों। प्रदूषण सम्बन्धी जन-शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापना हेतु सहमति पत्र स्थोक (निरस्त) कर दी जावेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग का होगा।
- उद्योग परिसर में चारों तरफ कम से कम 3 कतारों वाली हरित पट्टिका विकसित की जाये। हरित पट्टिका हेतु सूखने तथा छायादार वृक्षों का चयन किया जाये। हरित पट्टिका हेतु निर्धारित भूमि पर निर्माण कार्य न किया जाये।
- उद्योग में परिसंरक्षण एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं ट्रांसबाउण्ड्री मूवमेन्ट) नियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा उत्पादन से पूर्व परिसंरक्षण अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया जाये।

- 13- उद्योग में सन्तोषजनक स्थायक विनिर्माण, मन्दायन एवं आयात विनियम, 1989 का पालन किया जाये।
- 14- उद्योग में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपाय किये जायें तथा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
- 15- 500के.सी.ए. सक्षमता का एक के लवरेट्य रेट में इन्फ्रारेड स्टेक की उंचाई मानकों के अनुरूप स्थापित की जाये एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकाधिक इन्वोलोजर्स की स्थापना की जाये।
- 16- उद्योग में बोर्ड की पूर्वागति के बिना ब्याचलर/ओवन अतिरिक्त डी0जी0 रोट, फर्नेश आदि की स्थापना न की जाये।
- 17- यह सहमति मात्र Mixing and Baking प्रक्रियाओं हेतु मान्य है।
- 18- यह स्थापनाई सहमति जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। उद्योग सक्षम विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करवा सुनिश्चित कर लें।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापनाई सहमति (CoE) पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापनाई सहमति पत्र (CTE) की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये।

उपरोक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 16.09.2018 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये; अन्यथा स्थापना सहमति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

महदीव

सदस्य सचिव

पृ० सं० एवं दिनांक/उपरोक्तानुसार।

प्रतिनिधि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर को सूचनाई एवं उपरोक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

1957-3 5-255



मुख्यालय  
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून

1957  
12/9/18  
Com. Cell

पत्रांक-यूईपीसीबी/एचओ/एनओसी-7082/2018/ 1032

दिनांक 30.8.2018

सेवा में,

M/s Shri Shardanand Food Processing Pvt Ltd,  
Plot No. R5, Himalayan Food Park,  
Mahuwakheraganj,  
Tehsil-Kashipur, Distt-U.S.Nagar.

Registered/AD

PCB ID : 22228  
CTE : Fresh  
Outward No. 1032

विषय :- पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से यूई इकाई की स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गमन।

सहोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2018 (INWARD : 240102) एवं तत्सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपयुक्त लिए गए विषय के क्रम में उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सशर्त स्थापना हेतु सहमति पत्र निर्गत किया जाता है।

1- यह स्थापना हेतु सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल :	Plot No. R5, Himalayan Food Park, Mahuwakheraganj, Tehsil-Kashipur, Distt-U.S.Nagar.
(ख) उत्पादन :	Macroni-22500Quental/Year.
(ग) मुख्य कच्चे माल :	Sooji-45000Quental/Year.
(घ) औद्योगिक उत्पाद :	Nil.
(ङ) प्रयुक्त ईंधन :	DG Set (500KVA) x 1Nos.

- उपरोक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापना हेतु सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्पादक शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति (CTO) प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति (CTO) प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उत्तरेष करते हुए इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।
- घरेलू उत्पाद की मात्रा 0.080कि०ली०/दिन से अधिक नहीं होगी। जलित घरेलू उत्पाद को सांक्रिप्ट के माध्यम से सेप्टिक टैंक में निस्तारित किया जाये।
- उद्योग द्वारा शून्य उत्पाद का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- उद्योग प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक पर्यावरणीय वक्तव्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- यह स्थापना हेतु सहमति पत्र दिनांक 28.06.2018 से दिनांक 27.06.2023 तक की अवधि के लिए वैध होगा।
- उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाये, कि परिवेशीय वायु शुद्धता संवेदक बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
- उद्योग से जलित ठोस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार निस्तारित किया जाये कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे।
- उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न हों। प्रदूषण सम्बन्धी जन-शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापना हेतु सहमति पत्र रिवोक (विरस्त) कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योगी का होगा।
- उद्योग परिसर में चारों तरफ कम से कम 3 कतारों वाली हरित पट्टिका विकसित की जाये। हरित पट्टिका हेतु सघन तथा छायादार वृक्षों का घनत्व किया जाये। हरित पट्टिका हेतु निर्धारित भूमि पर निर्माण कार्य न किया जाये।
- उद्योग में परिसंक्रमण एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं ट्रांसबाउण्ड्री मूवमेन्ट) नियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा उत्पादन से पूर्व परिसंक्रमण अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया जाये।

- 14- उद्योग में सततताक/परिसंकटमय स्थायन विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम, 1989 का पालन किया जाये।
- 15- उद्योग में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपयुक्त किये जायें तथा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम विभागों से अनापत्ति प्रतीपत्र प्राप्त किया जाये।
- 16- 500के.वी.ए. क्षमता के जनरेटर सेट में इन्वर्टर स्टैंड की उँचाई मानकों के अनुरूप स्थापित की जाये एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इन्सुलेशन की स्थापना की जाये।
- 17- उद्योग में बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना ब्याचलर/ओवर अतिरिक्त डी0जी0 सेट, फर्नेश आदि की स्थापना न की जाये।
- 18- यह सहमति मात्र Mixing and Baking प्रक्रियाओं हेतु मान्य है।
- 19- यह स्थापनार्थ सहमति जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। उद्योग सक्षम विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करवा सुनिश्चित कर लें।

रूपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापनार्थ सहमति (OPE) पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापनार्थ सहमति पत्र (CPE) की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये।

उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 08.09.2018 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा स्थापना सहमति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

मन्दीय

सदस्य सचिव

पृ० सं० एवं दिनांक/उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर को स्थापनार्थ एवं उपरोक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी



53  
 मुख्यालय  
 उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
 29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून

पत्रांक-यूईपीसीबी/एचओ/एनओसी-7064/2018/ 620

दिनांक 09.07.2018

सेवा में,

M/s Numix Industries Private Limited,  
 Plot No : 6,  
 Himalayan Food Park,  
 Mahuwakhera Ganj,  
 Tehsil-Kashipur, Distt-U.S.Nagar.

Registered/AD

PCB ID : 22041  
 CTE : Fresh  
 Outward No.

विषय :- पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गमन।  
 महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 09.04.2018 (INWARD : 238741) एवं तरतम्वकी क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सहमति पत्र निर्गत किया जाता है।

1- यह स्थापनार्थ सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल :	Plot No : 6, Himalayan Food Park, Mahuwakhera Ganj, Tehsil-Kashipur, Distt-U.S.Nagar.
(ख) उत्पादन :	1. Cereal Bars-75Ton/Month. 2. Protein Bar-75Ton/Month.
(ग) मुख्य कच्चे माल :	1. Sugar, Glucose, Honey, Cereals, Seeds, Dry Fruits, Veg. Oil, Milk & Ingredients-153MT/Month.
(घ) औद्योगिक उप्रवाह :	5.0KLD.
(ङ) प्रयुक्त ईंधन :	HSD for DG Set (300KVA) x 1Nos.

- उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापना हेतु सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हस्ति पट्टिका, उप्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि यह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति (CTO) प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति (CTO) प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उत्त्सेह करते हुए इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।
- घरेलू उप्रवाह की मात्रा 3.5कि०ली०/दिन से अधिक नहीं होगी। जनित घरेलू उप्रवाह को सोक्षपिट के माध्यम से सेप्टिक टैंक में निस्तारित किया जाये।
- उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया एवं घरेलू प्रयोजन से जनित उप्रवाह के शुद्धिकरण हेतु यथाप्रस्तावित संयुक्त उप्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (HAF-Plant-500KLD Capacity) की स्थापना की जाये। शुद्धिकृत उप्रवाह के एकत्रण हेतु पक्के स्टोरेज टैंक की स्थापना की जाये तथा शुद्धिकृत उप्रवाह को यथाप्रस्तावित पर्याप्त कूलिंग/वाष्पना आदि में किया जाये।
- उद्योग द्वारा शून्य उप्रवाह का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- उद्योग प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक पर्यावरणीय वक्तव्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- यह स्थापना हेतु सहमति पत्र दिनांक 09.04.2018 से दिनांक 08.04.2023 तक की अवधि के लिए वैध होगा।
- उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाये, कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
- उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार निस्तारित किया जाये कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे।
- उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न हों। प्रदूषण सम्बन्धी जन-शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापना हेतु सहमति पत्र रिवोक (निरस्त) कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योगी का होगा।

क्रमसं: पेज-2

- 13- उद्योग परिसर में चारों तरफ कम से कम 3 कतारों वाली हरित पट्टिका विकसित की जावे। हरित पट्टिका हेतु सपन तथा छायादार वृक्षों का घयन किया जाये। हरित पट्टिका हेतु निर्धारित भूमि पर निर्माण कार्य न किया जाये।
- 14- उद्योग में परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं ट्रांसवाउन्ट्री मूवमेन्ट) नियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा उत्पादन से पूर्व परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया जाये।
- 15- उद्योग में अंतराक/परिसंकटमय रस्मयन विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम, 1989 का पालन किया जाये।
- 16- उद्योग में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपाय किये जाये तथा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
- 17- उद्योग में प्रस्तावित जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के प्रभावी संचालन हेतु पृथक विद्युत मीटर की स्थापना सुनिश्चित की जाये। उक्त हेतु प्रतिदिन विद्युत/रसायनों की खपत का विवरण लागू बुक में दर्ज किया जाये।
- 18- 300के.सी.ए. क्षमता के जनरेटर सेट में इन्जॉस्ट स्टेक की उंचाई मानकों के अनुरूप स्थापित की जाये एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक्सट्रिक् इन्वेलोजर्स की स्थापना की जाये।
- 19- उद्योग में बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना ब्याचलर/ओवन अतिरिक्त डी0जी0 सेट, फर्नेश आदि की स्थापना न की जाये।
- 20- यह सहमति मात्र Mixing, Sugar/Glucose/Honey Preparation, Spreading, Pressing, Enrobbing with Chocolate, Cooling, Packaging प्रक्रियाओं हेतु मान्य है।
- 21- यह स्थापनार्थ सहमति जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। उद्योग सक्षम विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापनार्थ सहमति (CoE) पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापनार्थ सहमति पत्र (CTE) की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये।


उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 15.06.2018 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा स्थापना सहमति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

मन्दीय

(एस.पी. सुबुद्धि)  
सदस्य सचिव

पृ० सं० एवं दिनांक/उपरोक्ताबुसार।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

- 10- उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण से बचाव के लिए (निर्देश) को ही मान्यता दी जायेगी। निम्नलिखित उद्योगों का होगा।
- 8- उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाये, कि पर्यावरण को नुकसान न हो सके। प्रदूषण से बचाव के लिए उद्योगों को संचालनायक की सलाह लेनी होगी।
- 7- यह स्थापना के लिए 28.06.2018 से दिनांक 27.06.2023 तक की अवधि के लिए वैध होगा।
- 6- उद्योग प्रभावित क्षेत्र के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।
- 5- उद्योग के प्रदूषण से निवारण के लिए उद्योग को संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।

- 2- उद्योग में सभी आवश्यक वस्तु, यथा, ईंधन, रसायन, अथवा इलेक्ट्रिकल वस्तु नया वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी। उद्योग में प्रदूषण से निवारण के लिए उद्योग को संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।
- 3- उद्योग के प्रदूषण से निवारण के लिए उद्योग को संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।

(क) स्थल :	Plot No: R6 & R7, Kharsa No: 313, 314, 325, Himalayan Mega Food Park, Village-Mahabwakhersaganj, Tehsil-Kashipur, Distt-U.S.Nagar.
(ख) उत्पाद :	1. Suji-495MT/Month. 2. Normal Flour-264MT/Month. 3. Maida-1848MT/Month. 4. Whole Wheat-784MT/Month. 5. Bran-734MT/Month.
(ग) मूल्य का अनुमान :	Wheat-4125MT/Month. NIL
(घ) प्रकृत संचालन :	HSD for DG Set (500KVA) x 1Nos.

1- यह स्थापना के लिए उद्योग को संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी। उद्योग में प्रदूषण से निवारण के लिए उद्योग को संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।

पत्र :- पर्यावरण प्रदूषण से निवारण के लिए उद्योग को संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी। उद्योग में प्रदूषण से निवारण के लिए उद्योग को संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।

29/20, वीपी रोड, बालवाली, देहरादून  
 2018-19  
 27.7.2018  
 1685  
 2018-19  
 27.7.2018

1/2



- 11- उद्योग परिसर में चारों तरफ कम से कम 3 कतारों वाली हरित पट्टिका विकसित की जाये। हरित पट्टिका हेतु राघन तथा छायादार वृक्षों का पलव किया जाये। हरित पट्टिका हेतु निर्धारित भूमि पर निर्माण कार्य न किया जाये।
- 12- उद्योग में परिसंक्रामक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं ट्रांसबाउण्ड्री गवर्नेन्ट) नियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा उत्पादन से पूर्व परिसंक्रामक अपशिष्ट के विस्तारण हेतु बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया जाये।
- 13- उद्योग में स्तरनाफ/परिसंक्रामक रसायन विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम, 1989 का पालन किया जाये।
- 14- उद्योग में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपाय किये जाये तथा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
- 15- 500के.वी.ए. क्षमता का एक के जनरेटर सेटों में इक्जॉस्ट स्टैक की उँचाई मानकों के अनुरूप स्थापित की जाये एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इन्सुलोजर्न की स्थापना की जाये।
- 16- उद्योग में बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना ब्यायलर/ओवन अतिरिक्त ही0जी0 सेट, फ्रेश आदि की स्थापना न की जाये।
- 17- यह सहमति मात्र Cleaning, Grinding and Milling आदि प्रक्रियाओं हेतु मान्य है।
- 18- यह स्थापनार्थ सहमति जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। उद्योग सक्षम विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापनार्थ सहमति (CoE) पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापनार्थ सहमति पत्र (CTE) की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये।

उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 27.08.2018 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा स्थापना सहमति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(एस.पी. सुबुद्धि)  
सदस्य सचिव

पृ० सं० एवं दिनांक/उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।

  
27.7.18  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

संलग्न-4

महोदय,


संलग्न उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - चामुडा कॉम्प्लेक्स रामनगर रोड काशीपुर के पत्रांक - प्र. के. पी. सी. बी. / आर. ओ. के. / डिड- 59/20/5/2 दिनांक 11/10/20 पर आपके आदेश दिनांक 3/10/2020 के अनुपालन में मौके पर जांच की गई जांच आख्या निम्न प्रकार है।

महोदय मां राष्ट्रीय हरित अधिकरण में चैम्पिट डूबल आवेदन संख्या - 129/2020 विजय कुमार मल्होत्रा बनाम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पारित आदेश दि 17-07-2020 के अनुक्रम में मै. डिग्लायन गूड पार्क प्रा. लि. काशीपुर द्वारा दिये गये / विकसित किये गये हरित पट्टिका के सम्बन्ध में मौका गुप्तगण किया गया मौके पर संलग्न स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष गूड पार्क द्वारा हरित पट्टिका छोड़ी गयी है। जांचोपरांत गूड पार्क के पूरब, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण में कुलकुल 22617 वर्ग मी. का कुल वन्ये का 10.01% होता है. मौके पर हरित पट्टिका विकसित की गई, नक्षत्रों की प्रति संलग्न है. रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा में साध्य प्रेषित है।

  
03/10/2020


पंजा काशीपुर

पंजा काशीपुर  
रा. के. पी. सी. बी. / आर. ओ. के. / डिड- 59/20/5/2  
दिनांक 11/10/20

  
03/10/2020

03-398/डिडक/2020  
03/10/2020

1 -> Kof.

  
03/10/2020

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
चामुडा कॉम्प्लेक्स  
रामनगर रोड  
काशीपुर

**PROJECT**

REVISED PROPOSED INDUSTRIAL LAYOUT PLAN OF  
 M/S. ISMAILYAN FOOD  
 PARK PVT. LTD. IN HUAZU-  
 KASHIMIERA DISTT. J.S.  
 NAQAR, UTTARAKHAND

**TITLE**

EMPHASION DRAWING

**SHEET TITLE**

INDUSTRIAL SITE LAYOUT PLAN

**LEGEND**

ROAD	[Symbol]
RAILWAY	[Symbol]
WATER	[Symbol]
LAND	[Symbol]
...	...

**ALL DIMENSION AND OTHER**

...	...
...	...
...	...

**SCALE**


1:1000

DATE: ...


NO. OF SHEETS: ...


PROJECT NO.: ...

...



मैं हिमालयन फूड पार्क प्राचलिक सुध्मरकेगर्त!  
(एन्गरी की इत्पादन ईकाई)








Handwritten text, likely a caption or note, written in a cursive script. The text is oriented vertically and appears to be a mix of English and possibly another language or dialect. The words are difficult to decipher due to the cursive style and the high contrast of the scan.

मेरे हिमालयन फूट पारि जंगलिकी इन्सायन डूकडि  
को हरि र परिता







10-15-1964  
10-15-1964  
10-15-1964  
10-15-1964  
10-15-1964










Handwritten text in a non-Latin script, possibly Hebrew or Arabic, located below the second photograph. The text is written in a cursive style and appears to be a signature or a note.


1210 20 2P  
New Primary Pylons  
at Shree Pylons








HS to ops ops  
HR 55212 placed to ops to inst





11/11/25  
On 5/11/25  
P.N. 5/11/25  
P.N. 5/11/25

Business Development of only 2005 PIN 574 - 1400113





Regional Office  
Uttarakhand Pollution Control Board  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Chamunda Complex, Ramnagar Road, Kashipur, (U.S.Nagar)- 244713  
चामुण्डा कॉम्प्लेक्स, रामनगर रोड, काशीपुर, (उधमसिंहनगर)-244713

पत्रांक- यू.के.पी.सी.बी./आर.ओ.के./रि-59/20/582

दिनांक-14/10/20

सेवा में,

मै0 हिमालयन फूड पार्क प्रा0 लि0,  
अलीगंज रोड, महुवाखेडागंज,  
काशीपुर, उधमसिंहनगर।

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं0 129/2020, विजय कुमार मल्होत्रा  
बनाम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 हरित राष्ट्रीय अधिकरण के आदेशों के क्रम में आपके उद्योग तथा फूड पार्क का निरीक्षण दिनांक 08.09.2020 को संयुक्त जांच समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि आपकी उत्पादन ईकाई में दिनांक 29.06.2020 के बाद उत्पादन नहीं हुआ है, जिस कारण आपके उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से शुद्धिकृत उत्प्रवाह तथा स्थापित व्यावहारों से संलग्न चिमनियों से शुद्धिकृत उत्सर्जन का नमूना एकत्र एवं विश्लेषण नहीं किया जा सका। इसी अनुक्रम में संयुक्त जांच समिति की संस्तुतियों के बिन्दुओं के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है, कि उत्पादन ईकाई के संचालन में आने से पूर्व इस कार्यालय/अद्योहस्ताक्षरी को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि शुद्धिकृत उत्प्रवाह तथा उत्सर्जन का नमूना एकत्र कर जांच की जा सके। बिना पूर्व सूचना के उत्पादन ईकाई के संचालन किये जाने पर, उद्योग के विरुद्ध जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की संस्तुति सक्षम स्तर को कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

(नरेश गोस्वामी)  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि-

1. सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)